(139)

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश कंन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 निगरानी निग-2401-PBR-16

श्री दिनेश व्यास अभि० द्वारा उज्जैन केन्द्र पर प्रस्तुत। 15-7-16

15.7.16

1— मानसिंह पिता बेजनाथ, आयु—40 वर्ष
सभी जाति देशवाली मीणा, निवासी—ग्राम चारखेड़ी
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर

2— लक्ष्मीनाराण पिता घीसीलाल, आयु—65 वर्ष
निवासी—ग्राम कालापीपल गांव तहसील कालापीपल
जिला शाजापुर म.प्र. ——— आवेदक

———विरूद्ध———

1— जगदीश पिता गंगाप्रसाद
2— दयाराम पिता पूनमचन्द
3— केशरबाई पुत्र मूलचन्द
4— देवरकुंवर बाई पति देवनारायण
5 मुरारीलाल पिता जगन्नाथ
6 मंगलसिंह पिता मुरारीलाल
जाति देशवाली ग्राम चारखेड़ी
7— हरिप्रसाद पिता पन्नालल
8— भगवानसिंह पिता सिद्धनाथ
9— सिद्धनाथ पिता देवीराम
10— लक्ष्मीबाई पुत्री रामप्रसाद
11 शिवनारायण पिता घीसीलाल
12. करणसिंह पिता रामचरण
13 ज्ञानसिंह पिता रामचरण
14. दीपक पिता महेश ना.बा. संरक्षक माता सुशीलाबाई
15. सुशीलाबाई वि. महेश
16. रामगोपाल पिता ब्रम्हा निवासी—सादनखेड़ी
17. संजय कुमार पिता गिरीराज कालापीपल
18. केशरसिंह पिता गोपीलाल परमार
निवासी—ग्राम कालापीपल

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार कालापीपल जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 4/अ–13/15–16 में पारित आदेश दिनांक 15/06/16 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश प्राथमिक दृष्टि में ही विधि, विधान एवम् प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने प्रकरण की वस्तु स्थिति को देखे व समझे बगैर एवम् धारा 131 भू–राजस्व संहिता के नियम व प्रावधानों को देखे व पढ़े बगैर उनके विपरीत जाकर जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

03 यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो स्थल निरीक्षण किया गया हैं उस स्थल निरीक्षण टीप में ग्राम चारखेड़ी का किया हैं तथा उसमें लिखा है कि मौके पर रास्ता कहीं खुला कहीं बन्द है तथा नाला है तथा घर बना हुआ है तथा सभी कृषकों की सुविधा की दृष्टि से रास्ता खुलवाया जाना उचित है । इससे स्पष्ट है कि मौके पर कोई रास्ते के निशानात नही हैं । अनावेदक ने गलत आधार पर नवीन रास्ते की मांग की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने सुविधा की दृष्टि से जो आदेश दिया है वह विधि, विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

04. यह कि, अनावेदक को अपनी कृषि भूमि पर आने, जाने के लिये रास्ता रूढ़ीगत प्राप्त है उसी रास्ते का वर्षो से ही उपयोग व उपभोग करते चले अ रहें है किन्तु पश्चात् में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जो रास्ता बना हैं उसको आधार बनाकर आवेदकगण के हंकत भूमि में से जो नवीन रास्ता अंतिरम रूप से दिया हैं वह विधि, विधान एवम् प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

05. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक ने अपना धारा 32 का उत्तर प्रस्तुत किया था तथा उसमें पेरा 4 में इस बात का उल्लेख किया है कि जहां से रास्ता मांगा गया हैं उक्त भूमि पर लगभग 20 से 25 वर्ष से बगीचा लगा हैं जिसमें चंदन के पेड़, जामुन के पेड़,

XXIX(a)-BR(H)-11

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2401-पीबीआर/16 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	